



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुरदाण्डिक अपील सं. 555/ 2016

[सत्र प्रकरण सं. 106/ 2014 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम दीपनारायण गोंड) में प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा पारित 23.02.2016 दिनांकित निर्णय से उद्धृत]

दीपनारायण गोंड, पिता- बबन सिंह गोंड, आयु- लगभग 50 वर्ष, निवासी- ताराबहारा, थाना केलहारी, जिला- कोरिया, (छत्तीसगढ़)

..... अपीलार्थी
(जमानत पर)

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा- थाना केलहारी, जिला कोरिया, (छत्तीसगढ़)

..... उत्तरवादी

[वाद- शीर्षक प्रकरण सूचना प्रणाली (सी. आई. एस.) से लिया गया]

अपीलार्थी की ओर से : श्री पराग कोटेचा एवं श्री आलोक तिवारी, अधिवक्ता

उत्तरवादी की ओर से : श्री अरविंद दुबे एवं श्री राहुल तमस्कर, शासकीय अधिवक्ता

खण्ड पीठमाननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवंमाननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी



पीठ पर निर्णय
(15.04.2025)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

(1) अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा यहाँ द.प्र.सं. की धारा 374 (2) के तहत प्रस्तुत की गई यह दाण्डिक अपील, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण सं. 106/2014 (छत्तीसगढ़ राज्य बनाम दीपनारायण गोंड) में पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के 23.02.2016 दिनांकित आक्षेपित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है, जिसके तहत उसे भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है और रु.1000/- के अर्थदण्ड के साथ आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि के भुगतान के व्यतिक्रम में, 6 माह के लिए अतिरिक्त साधारण कारावास से गुजरना होगा।

(2) संक्षेप में, अभियोजन पक्ष का प्रकरण यह है कि 26.06.2014 को, दोपहर लगभग 03:30 बजे, पुलिस स्टेशन केलहारी के दायरे में आने वाले ग्राम ताराबहारा में राकेश चेरवा के घर के पीछे, आरोपी-अपीलकर्ता ने राम किष्णु (जिसे इसके बाद "मृतक" के रूप में संदर्भित किया गया है) पर लकड़ी के दण्ड से हमला किया, जिसके कारण उसे गंभीर चोट लगी और बाद में 04.07.2014 को अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई और इस तरह कहा गया कि उसने भा.द.वि. की धारा 302 के तहत अपराध कारित किया है।

(3) अभियोजन पक्ष का प्रकरण आगे यह है कि घटना के बाद, मृतक को अंबिकापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें उसने चोटों के कारण 04.07.2014 को दम तोड़ दिया, जिस पर अस्पताल द्वारा अचानक और अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में जानकारी प्र.P/14 के माध्यम से पुलिस को भेजी गई थी जिसके अनुसार, मर्ग सूचना (प्र.P/15) और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.P/16) दर्ज किए गए और अन्वेषण प्रारंभ हुआ, जिसमें, नजरी नक्शा और पंचनामा क्रमशः प्र.P/02 और प्र.P/03, तैयार किए गए थे। द.प्र.सं. की धारा 175 के तहत समंस प्र.P/08 जारी किए गए और प्र.P/07 के माध्यम से पूछताछ की गई थी। मृतक के शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया था और डॉ. विवेक भटनागर (अ.सा.-12) द्वारा किए गए शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.P/12) में यह अभिमत दिया गया कि मृतक की मृत्यु का कारण डुओडीनल अल्सर छिद्रण और उसकी जटिलता के कारण पेरिटोमाइट्स और सदमा (शॉक) है। इसके बाद, अपीलार्थी को प्र.P/14 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया और उसका मेमोरेण्डम कथन प्र.P/04 के माध्यम से अभिलिखित किया गया। अपीलार्थी के मेमोरेण्डम कथन के अनुसार, एक लकड़ी का क्लब (दण्डा) और एक मोटर-साइकिल की जब्त की गई। हालाँकि, कथित जब्त वस्तुओं को अभियोजन पक्ष को ही ज्ञात कारणों के लिए रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा



गया। इसके बाद, साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए और सम्यक् अन्वेषण के बाद, पुलिस ने अपीलार्थी के विरुद्ध अधिकारिता वाले सक्षम दाण्डिक न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया और उसके बाद, प्रकरण विधि के अनुसार सुनवाई और विचारण के लिए सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया, जिसमें अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपने अपराध से इनकार किया और यह कहते हुए बचाव में प्रवेश किया कि वह निर्दोष है और उसे गलत तरीके से फंसाया गया है।

(4) अभियोजन पक्ष ने अपने प्रकरण को साबित करने के लिए 16 साक्षियों का परीक्षण किया और 18 दस्तावेज प्रदर्शित किए, जबकि अपीलार्थी ने अपने बचाव के समर्थन में, यद्यपि 1 साक्षी का परीक्षण किया परन्तु कोई भी दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किया।

(5) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी ने लकड़ी के दण्डे (क्लब) से मृतक के पेट में चोट पहुंचाई है, जिसे शंकर लाल (अ.सा.-01) और सोनकली (अ.सा.-04) ने देखा और इस तरह के प्रहार के कारण, मृतक की मृत्यु पेरिटोनाइटिस के कारण हुई, अतः अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया और दण्डादेश दिया गया, जैसा कि इस निर्णय की प्रारंभिक कण्डिका में उल्लिखित है, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा यह अपील दायर कर दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय को चुनौती दी गई है।

(6) अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री पराग कोटेचा निवेदन करते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष करने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। वह तर्क करते हैं कि भा.द.वि. की धारा 325 के तहत सबसे उपयुक्त अपराध अपीलार्थी के विरुद्ध बनेगा क्योंकि अपीलार्थी का कोई आशय और ज्ञान नहीं था कि उसके द्वारा शरीर पर की कारित की गई चोटों से मृत्यु होने की संभावना है। अन्यथा भी, घटना दिनांक 26.06.2014 की है और मिशन अस्पताल, अंबिकापुर में अपने उपचार के दौरान 8-9 दिनों के बाद मृतक की मृत्यु हो गई और वह पहले से ही डुओडीनल अल्सर से पीड़ित था और इस तरह, यह एक उपयुक्त प्रकरण है जहां भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा.द.वि. की धारा 325 के तहत अपराध में परिवर्तित किया जा सकता है और चूंकि अपीलार्थी 07.07.2014 से 02.02.2017 अर्थात् लगभग 02 वर्ष 06 माह एक अवधि के लिए जेल में रहा है, अतः उसे उस अवधि का दण्डादेश दिया जाए जो वह पहले ही जेल में बिता चुका है। इसलिए, वर्तमान अपील को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए।



(7) इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और दण्डादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क किया कि अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से अपराध को उचित संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन पक्ष के साक्षियों के कथनों के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध अन्य सामग्री को देखते हुए, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए उचित रूप से सिद्धदोष किया है। यह भी तर्क किया गया है कि यह ऐसा प्रकरण नहीं है जहां भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए अपीलार्थी की दोषसिद्धि को भा.द.वि. की धारा 325 में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अतः वर्तमान अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(8) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, उनके ऊपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अत्यंत सावधानी के साथ अभिलेखों का परिशीलन किया है।

(9) वर्तमान प्रकरण में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी का मृतक की मृत्यु कारित करने का आशय था, अतः वर्तमान प्रकरण में भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) आकर्षित होती है और जब घटना हुई, शंकर लाल (अ.सा.-1) और सोनकली (अ.सा.-04) ने उसे देखा। इसके अलावा, मृतक की मृत्यु का कारण डुओडीनल अल्सर छिद्रण और उसकी जटिलताओं के कारण सदमे और पेरिटोनाइटिस (अर्थात् पेट या पेट पर अस्तर की लालिमा और सूजन) माना गया है, जो डॉ. विवेक भटनागर (अ.सा.-12) के कथन से विधिवत प्रमाणित होता है, जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमॉर्टम किया और शव परीक्षण प्रतिवेदन (प्र.प/12) और प्रश्न (क्वेरी) प्रतिवेदन (प्र.प/13) दिया।

(10) ब्लैक चिकित्सा डिक्शनरी (41 वां संस्करण) में दिए गए 'छिद्रण' (परफोरेशन) का अर्थ इस प्रकार है:

“छिद्रण (परफोरेशन)

पेट के खोखले अंगों में से एक या वृहद रक्त वाहिकाओं का छिद्रण अल्सर या उन्नत ट्यूमर के प्रकरण में अनायास हो सकता है, या चाकू के घाव या यातायात या औद्योगिक दुर्घटना से भेदक क्षति जैसे आघात के लिए गौण हो सकता है। कारण जो भी हो, छिद्रण एक शल्य चिकित्सा आपात स्थिति है। आंतों की सामग्री, जिसमें बड़ी संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, पेट की गुहा में स्वतंत्र रूप से बाहर निकलते हैं और एक गंभीर रासायनिक या बैक्टीरियल पेरिटोनिटिस कारित करते हैं। यह आमतौर पर गंभीर पेट दर्द, गिरने या यहां तक कि मृत्यु के साथ होता है। पेट की गुहा में रिसे हुए



तरल पदार्थ या वायु (गैस) के भी साक्ष्य हो सकते हैं। रिसाव और धुलाई की उपचार के लिए शल्य चिकित्सकीय मध्यक्षेप अक्सर आवश्यक होता है। संदूषण, छिद्रण या वृहद रक्त वाहिकाओं का फटना, चाहे वह बीमारी या चोट से हो, एक तीव्र आपात स्थिति है जिसके लिए आमतौर पर तत्काल शल्य चिकित्सकीय उपचार की आवश्यकता होती है। पेट की तुलना में कहीं और खोखली संरचनाओं का छिद्रण, उदाहरण के लिए, हृदय या अन्नप्रणाली जन्मजात कमजोरियों, बीमारी या चोट के कारण हो सकती है। उपचार आमतौर पर शल्य चिकित्सा होता है परन्तु कारण पर निर्भर करता है।”

(11) अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है या किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह को भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना से पहले मृतक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित था और मृतक के शरीर पर कोई बाहरी/आंतरिक क्षति नहीं पाई गई थी और इसके अलावा, यह भी अभियोजन पक्ष का प्रकरण नहीं है कि अपीलार्थी को पता था कि मृतक डुओडीनल अल्सर से पीड़ित था।

(12) रामकृष्ण पाणिचकर बनाम केरल राज्य¹ के प्रकरण में, पीड़ित की रोगग्रस्त स्थिति की प्लीहा थी जो फट गई थी और उक्त तथ्य की स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब क्षति गंभीर न हो और मृत्यु या गंभीर चोट पहुँचाने का कोई आशय नहीं था, और न ही अभियुक्त को पता था कि इससे गंभीर चोट या मृत्यु कारित होने की संभावना थी, तो वह चोट पहुँचाने का दोषी है, न कि मृत्यु कारित करने का, यद्यपि मृत्यु हुई हो।

(13) श्री प्रकाश बनाम राज्य² के प्रकरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के समक्ष इसी तरह का एक प्रश्न उठा, जिसमें अभियुक्त द्वारा बड़े हुए प्लीहा वाले बच्चे को पीटे जाने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई और साक्ष्य से यह नहीं पता चलता है कि अभियुक्त को मृतक की बढ़ी हुई प्लीहा के बारे में जानकारी थी। तथ्य की स्थिति पर, उच्च न्यायालय ने अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 323 के तहत दोषसिद्ध अभिनिर्धारित किया।

(14) विधि के उपरोक्त सिद्धांतों का पालन करते हुए, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम बाबू कावा³ के मामले में अभिनिर्धारित किया कि चूँकि अभियुक्त व्यक्तियों को प्रहार करते समय मृतक की बढ़ी हुई प्लीहा के बारे में पता नहीं था, उन्हें धारा 304 भाग-II के तहत सिद्धदोष नहीं किया जा सकता है, परन्तु वे भा.द.वि. की धारा 323 के तहत सिद्धदोष किए जाने के पात्र हैं।

1 AIR 1959 Kerala 372

2 1990 CrLJ 486

3 (2003) 4 GLR 892



(15) भा.द.वि. की धारा 300 की कण्डिका (iv) के दृष्टांत (ख) में यह उपबंधित है कि यदि अपराधी यह जानते हुए है कि पीड़ित ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिससे एक प्रहार से उसकी मौत होने की संभावना है, उसे शारीरिक क्षति पहुंचाने के आशय से मारता है और प्रहार के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो अपराधी हत्या का दोषी है यद्यपि प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में प्रहार स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति में किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त न हो। परन्तु यदि अपराधी यह न जानते हुए कि पीड़ित किसी बीमारी से ग्रसित है, उस पर ऐसा प्रहार करता है जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति को स्वस्थ स्थिति में नहीं मारेगा और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, तो अपराधी हत्या का दोषी नहीं है।

(16) उपरोक्त तथ्यात्मक और विधिक स्थिति के आलोक में वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह काफी स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु का कारण डुओडीनल अल्सर के छिद्रण या वृहद रक्त वाहिकाओं के फटने और उसकी जटिलताओं के कारण सदमा (शॉक) और पेरिटोनाइटिस है और अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी को पता था कि मृतक डुओडीनल अल्सर से पीड़ित था और यह ज्ञात होते हुए उसने उसे पेट में चोट पहुंचाई थी या उसने इस आशय और जानकारी से उन अंगों को चोट पहुंचाई थी ताकि उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष करना सुरक्षित नहीं होगा और इसके बजाय, वह भा.द.वि. की धारा 325 के तहत अपराध के लिए सिद्धदोष किए जाने का पात्र है।

(17) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 304 (भाग-1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किए जाने के साथ-साथ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उसे दिया गया आजीवन कारावास का दण्ड अपास्त किया जाता है। यह देखते हुए कि अपीलार्थी का मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय नहीं था और जानकारी नहीं थी और उसके द्वारा कारित चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु का कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं थीं, अपीलार्थी को भा.द.वि. की धारा 325 के तहत दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जाता है जिसके लिए, चूंकि अपीलार्थी 07.07.2014 से 02.02.2017 अर्थात् लगभग 02 वर्ष 06 महीने की अवधि के लिए जेल में रहा, इसलिए उसे पहले से जेल में बिताई जा चुकी अवधि का दण्डादेश दिया जाता है। तथापि, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड और चूक की शर्त बरकरार रहेगी। चूंकि अपीलार्थी का जमानत पर होना बताया गया है, इसलिए उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि, उसके जमानत बंधपत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437-क के तहत निहित प्रावधान को देखते हुए और छह माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे।

(18) इस दायंडिक अपील को आंशिक रूप से ऊपरोक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है।



(19) मूल अभिलेख के साथ इस आदेश की एक प्रमाणित प्रति संबंधित विचारण न्यायालय के साथ-साथ उस जेल के अधीक्षक को, जहां अपीलार्थी परिरुद्ध है, आवश्यक जानकारी और कार्यवाही, यदि कोई हो तो, हेतु प्रेषित की जाए।

सही/-
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

सही/-
(दीपक कुमार तिवारी)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।